(1)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, कोसी राजि,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक – 310/12 रामनगर, /दिनांक 12 .जनवरी. 2018

सेवा में,

श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल
श्री महेशानन्द घिल्डियाल
एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर
रानीखेत रोड, रामनगर

विषय– श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में दिये गये वन भूमि का नवीनीकरण।

सन्दर्भ– शासनादेश संख्या 1963/14–2–78/74 दिनांक 03.07.1975 एवं शासनादेश 6371/14–2–578/74 दिनांक (तिथि अस्पष्ट) जून 1978।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित शासनादेश द्वारा आपको कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर–रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे 2700 वर्ग फीट (प्लॉट नं0 8 में 1425 वर्ग फीट एवं प्लाट संख्या 09 में 1275 वर्ग फीट) भूमि पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई थी। शासनादेश में दी गई शर्तों का आपके द्वारा पालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में आपसे निम्न बिन्दुओं पर अपनी सुस्पष्ट आख्या मांगी जाती है :–

1. आपके द्वारा वर्ष 1997 से 2005 तक उपरोक्तानुसार स्वीकृत लीज रेंट क्यों जमा नहीं किया गया ?
2. वर्ष 2005 से स्वीकृत लीज अवधि समाप्ति के पश्चात् लीज नवीनीकरण की कार्यवाही आपके द्वारा क्यों नहीं की गयी ? जबकि लीज नवीनीकरण कार्यवाही आपके द्वारा वर्ष 2005 मे लीज समाप्त पूर्व ही प्रारम्भ कर लेनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर अपनी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(6) Pages

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

AGRO SERVICE & FILLING CENTRE
Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎ : (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Date 16/01/2018

Ref. No. 98/17-18

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
कोसी रा०जि०
रामनगर, वन प्रभाग, रामनगर।

विषय— आपके पत्रांक 310/12 दिनांक 12 जनवरी 2018 के बावत।

महोदय,

उपरोक्त पत्रांक में आपके द्वारा पूछे प्रश्नों के संदर्भ में मेरा निवेदन निम्न प्रकार है—

1. मेरे द्वारा लीज की तिथि से 2005 तक स्वीकृत लीज रेट पर जमा कराया गया है चूंकि विभाग द्वारा दिए गये दस्तावेजों (चालान पर दिये रेट राशि) बैंक में जमा कराया गया है। चूंकि हमारे पास इससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। अतः आवश्यकता पड़ने पर उक्त राशि पुनः जमा करवाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

2. महोदय मेरे द्वारा वर्ष 2005 से पहले से ही लीज के नवीनीकरण की कार्यवाही की गई थी, किन्तु मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि Internet [illegible] नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। अतः यह कार्यवाही तब तक स्थगित करनी पड़ी।

महोदय, इस क्रम में मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त प्लाट में, भारत सरकार के द्वारा आबंटित पेट्रोल पम्प संचालित है। (इसके सभी प्रपत्र भी आपके कार्यालय में जमा करवा दिए गये हैं।) जो कि भारत सरकार की

[illegible]

[signature]
[illegible]
16-1-2018

(3)

AGRO SERVICE &
FILLING CENTRE
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
,HET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
(05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Ref. No....................... Date............................

कंपनी IOCL से सम्बद्ध है व पेट्रोल पम्प अति आवश्यक सेवाओं में से एक है।

अतः लीज के शीघ्र नवीनीकरण न होने पर आम जनता को परेशान होने की प्रबल सभावना है, साथ ही आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने लीज के नवीनीकरण के विगत सन् 2013 से लगातार प्रयासरत हूँ, व मेरे द्वारा नवीनीकरण के सभी आवश्यक प्रपत्र व दस्तावेजों को विगत वर्ष में भी जमा करने के पश्चात नवीनीकरण नहीं हुआ है। महोदय, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ अत्यन्त मानसिक दवाब में हूँ।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि जनहित में आप शीघ्रातिशीघ्र नवीनीकरण करवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,
Ghildiyal
हरीशचन्द्र घिल्डियाल
एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सैन्टर,
रामनगर (नैनीताल)

(4)

[redacted]ERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎ : (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

Ref. No. .... Date..............................

To.
The DFO, Ramnagar
Uttarakhand

Date: 06.07.2013

Subject: Renewal of the lease for plot no 8 & 9, on Ranikhet Road, Ramnagar, on name of Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir,

This is to request you to renew the lease of plot no 8 & 9 on Ranikhet Road which was allotted to Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. This plot has office of Adarsh Cooperative transport on North, Forest compound on west and Ranikhet Road on East; since the allotment of lease, Agro Services & Filling Center (petrol pump) has been operating on this plot.

I would request you to kindly renew the lease of ~~plot~~ not 8 & 9 plot to Harish Chandra Ghildiyal to whom this plot was originally allotted.

Thanks and Regards

Ghildiyal

Harish Chandra Ghildiyal
Prop Agro Services and Filling Center
Ranikhet Road
Ramnagar (ntl)
Uttarakhand

6.8.13

(5)

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎ : (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

Ref. No. ....

Date 21.03.2014.......

To,
The DFO,
Ramnagar Distt NTL,
Uttarakhand

Sub : Reminder for request of renewal of lease of plot no. 8 & 9 on Ranikhet Road Ramnagar allotted in the name of Mr. Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir/Madam,

With the reference to above said subject we would like to bring it in your notice that plot no. 8 & 9. had been allotted in the name of Mr. Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. Plot have Adarsh corporative transport towards the north, Forest compound towards west and Ranikhet road towards east. Since the allotment of the lease Agro Services And Filling Center (petrol pump) is being operated in the leased plot. We have requested for the renewal of the lease earlier as well. We hereby again request you for the same at the earliest

Enclosed with the letter are

1) NOC from forest secretary for Pertol Pump operations on the leased plots
2) NOC from DM Nanital for Petrol Pump operations on the leased plots
3) Letters related to the rent of the leased plots
4) Receipts of lease fee payments
5) Letter for the request of renewal of lease

Thanks and regards

Ghildiyal

Harish Chandra Ghildiyal
Prop agro services and filling Center
Ranikhet road
Ramnagar(ntl)
Uttarakhand

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 2238/12-1 दि0. रामनगर मार्च 22 2014.

सेवा में,

श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल
एग्रो सर्विस एन्ड फिलिग सैन्टर
रानीखेत रोड, रामनगर (नैनीताल)

विषयः– प्लाट न08व 9 रानीखेत रोड रामनगर का लीज नवीनीकरण प्रस्ताव गठित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण।

सन्दर्भः– आपका पत्र दि021–03– 2014.

महोदय,

रानीखेत रोड स्थित प्लाट न0 8व 9 के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव गठित करने हेतु आपके प्रार्थना पत्र अनुसार संयुक्त निरीक्षण की तिथी दि031–3 –2014 निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी की ओर से वन क्षेत्राधिकारी कोसी को प्राधिकृत किया जाता है। आप निर्धारित तिथी को वन क्षेत्राधिकारी कोसी से सम्पर्क स्थापित कर लेवें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिलिपी– वन क्षेत्राधिकारी कोसी को प्रेषित कर कहना है कि निर्धारित तिथी को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कर अनुपालन आख्या देवें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(2)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक / **दिनांक, रामनगर** 31-08 2016

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
रामनगर।

विषय :– नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ किनारे प्लाट सं0 8 व 9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल के नाम लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुसार संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना।

संदर्भ :– श्री हरीश चन्द्र पुत्र महेशानन्द घिल्डियाल का वन–भूमि लीज नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक रहित।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1363/14–2–578/84 दिनॉक 3.07.1975 के तहत 30 वर्षो हेतु जनपद नैनीताल के रामनगर मे रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 8 व 9 मे वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र हेतु वनभूमि लीज पर दी गई थी जिसकी लीज अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप लीज धारक प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा पुनः लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव शासन को अग्रसारण हेतु प्रस्तुत किया गया है. प्रस्ताव अग्रसारण से पूर्व प्रस्तावित विषयगत क्षेत्र का शासनादेशानुसार संयुक्त सर्वेक्षण अपेक्षित है।

अतः दिनॉक 5.09.0216 को प्रातः 11.00 बजे स्वयं अथवा सक्षम प्रतिनिधि को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय या प्रस्तावित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

(टी0एस0शाही)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर / फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

पत्रॉक :– 173/12 **तद्दिनॉकित :–**

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी कोसी रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभिलेखो / सम्बन्धित स्टॉफ के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– आवेदक–श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र महेशानन्द घिल्डियाल रानीखेत रोड रामनगर को आपके आवेदन पत्र के क्रम मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि को उक्त स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। 11 बजे दि-5/9/2016

(टी0एस0शाही)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर / फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

(1)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, कोसी राजि
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक –243/12 कोसी, /दिनांक 06-12- 2017

सेवा में,

श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल
श्री महेशानन्द घिल्डियाल
एग्रो सर्विस एण्ड फिलिंग सेन्टर
रानीखेत रोड, रामनगर (नैनीताल)

विषय– **श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला– नैनीताल में दिये गये वन भूमि का नवीनीकरण।**

सन्दर्भ– उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर का पत्रांक–71/12–1 दिनांक 29.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना बिन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न की जा सके।

संलग्नक– उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति
व लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव 6 प्रति।

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि, रामनगर

(2)

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

e-mail: dfo_ramnagar@rediffmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक – 71 / 12-1 दिनांक, रामनगर 29 / 11 / 2017

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी, कोसी राजि,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय :– श्री हरीश चन्द्र छिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में दिये गये वन भूमि का नवीनीकरण।

सन्दर्भ :– शासनादेश संख्या 1963 / 14–2–78 / 74 दिनांक 03.07.75 एवं शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक (तिथि अस्पष्ट) जून 1978 ।

शासनादेश संख्या 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 द्वारा श्री हरीश चन्द्र छिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर–रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे 2700 वर्ग फीट (प्लॉट नं0 8 में 1425 वर्ग फीट एवं प्लाट संख्या 09 में 1275 वर्ग फीट) भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी थी, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं :–

क्र0 सं0	शासनादेश की शर्तें	विवरण
1	पट्टेदार उक्त भूमि का 7,500 रू0 प्रीमियम एवं 375 रू0 वार्षिक किराया देगा।	पट्टाधारक द्वारा कब तक एवं किस दर से वार्षिक किराया जमा किया गया है?
2	पट्टे की अवधि 30 वर्ष की होगी।	लीज स्वीकृति की तिथि 03.07.1975 से 30 वर्ष की अवधि दिनांक 02.03.2005 में पूर्ण हो गयी थी तत्पश्चात् लीज नवीनीकरण की कार्यवाही न करने का कारण स्पष्ट करें।
3	भूमि जिस प्रयोजन के लिए दी जा रही है, केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जायेगी। पट्टेदार की पट्टे की स्वीकृत भूमि की आवश्यकता न रहने पर वह बिना कोई प्रतिकर दिये ही वन विभाग को वापस हो जायेगी।	लीज कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ दी गयी थी, परन्तु उसमें पैट्रोल पम्प संचालित है यह पैट्रोल पम्प किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है प्रमाण सहित विवरण प्रस्तुत करें।
4	पट्टेदार उक्त भूमि को किसी भी रूप से हस्तान्तरित न कर सकेगा।	क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है?
5.	यदि एक वर्ष के भीतर पट्टेदार द्वारा उक्त केन्द्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन द्वारा वापस ले ली जायेगी।	पट्टा स्वीकृत होने के एक वर्ष के भीतर कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी थी? प्रमाण प्रस्तुत करें।
6	यदि सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना हेतु दी गयी अनुज्ञा वापस ले ली जायेगी तो पट्टा भी उसी समय से रद्द माना जायेगा।	–
7	पट्टे की अवधि की समाप्ति पर अथवा शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप पट्टा रद्द किये जाने पर उक्त वन भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन को वापस की जायेगी एवं पट्टेदार को भी दो माह का समय दिया जायेगा। जिसके भीतर वे अपना सामान भागान एवं निर्माण कार्य आदि हटा लें, अन्यथा उक्त समय के बाद जो भी सामान प्रश्नगत भूमि में रह	पट्टाधारक द्वारा लीज शर्तों का अनुपालन न करने पर उक्त वन भूमि वापस क्यों नहीं ली गई?

प्रस्ताव में संलग्न शासनादेश में उपरोक्त 01 से 07 तक की शर्तें पृष्ठ 01 पर लिखी गई हैं एवं दूसरे पृष्ठ पर निम्नलिखित बिन्दु लिखे गये हैं, जोकि पृष्ठ 01 के शर्तों के क्रम में नहीं हैं।

क्र०सं०	शासनादेश की शर्तें	विवरण
1.	द्वितीय पृष्ठ पर यह लिखा गया है कि– "जायेगा यह सरकार की संपत्ति हो जायेगी जिसके लिये पट्टेदार किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।"	शासनादेश का द्वितीय पृष्ठ क्या उसी शासनादेश का है?
2.	बिन्दु संख्या 02 पर यह अंकित है कि– "प्राप्त धनराशि अन्य, व्ययक के प्राप्ति शीर्षक" 113 वन " के मुख्य उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाय।"	शर्त संख्या 07 के बाद पृष्ठ संख्या 2 पर क्रम संख्या 2 लिखने से सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि दूसरा पृष्ठ इसी शासनादेश का भाग है अथवा नहीं?
3.	बिन्दु संख्या 03 पर यह अंकित है कि– "कृपया विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेज दें एवं पट्टेदार को निर्देश दें कि वे 32 रू० निर्धारण शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट कम्पोजेन्सर, उ०प्र० विधान भवन लखनऊ के पास भेज दें :– " 065 अन्य सामान्य सेवायें –क– अन्य प्रशासन –1– सेवायें तथा सेवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस"	शर्त संख्या 07 के बाद पृष्ठ संख्या 2 पर क्रम संख्या 3 लिखने से सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि दूसरा पृष्ठ इसी शासनादेश का भाग है अथवा नहीं?
4.	बिन्दु संख्या 04 पर यह अंकित है कि– "यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय सं० ई–7–1431/दस–75 दिनांक 27–6–75 द्वारा प्रदत्त है।"	शर्त संख्या 07 के बाद पृष्ठ संख्या 2 पर क्रम संख्या 4 लिखने से सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि दूसरा पृष्ठ इसी शासनादेश का भाग है अथवा नहीं?

उपरोक्त शासनादेश के अतिरिक्त 6371/14-2-578/74 दिनांक (तिथि अस्पष्ट) जून 1978 में पट्टे की भूमि पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया।

पैट्रोल पम्प खोले जाने के सम्बन्ध में शासनादेश	विवरण
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3378/5–2–श, दिनांक जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि श्री घिल्डियाल, जिलाधिकारी नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14–2–578/84 दिनांक 3 जुलाई 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उद्योग के साथ पैट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।	1. क्या श्री घिल्डियाल द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" प्राप्त कर ली गयी है? छायाप्रति संलग्न करें। 2. कृषि सेवा केन्द्र एवं पैट्रोल पम्प साथ–साथ संचालित किये जा रहे हैं? वन क्षेत्राधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट लगायें।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट रूप से बिन्दुवार आख्या देने का कष्ट करें एवं लीज शर्तों का अनुपालन न करने पर रेंज स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण भी प्रस्तुत करें।

संलग्नक : 06(छः) प्रतियों में पट्टा नवीनीकरण की पत्रावली।

(के०एन०भारती)
सहायक वन संरक्षक
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के०एन०भारती)
सहायक वन संरक्षक
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

कार्यालय

उपरोक्त बिन्दुओं के निस्तारण हेतु लीज धारक को मूल पत्रावली सहित वापस करने की कृपा करें।

\Desktop\Miscellanous Letter\Ksundriyal

वन क्षेत्राधिकारी
कोटा रेंज

(4)

AGRO SERVICE & FILLING CENTRE
Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎: (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Ref. No...................... Date 16.12.2017.

सेवा में,

श्रीमान् वन क्षेत्राधिकारी कोसी रेंज
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर जिला नैनीताल

विषयः— **एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर के लीज नवीनीकरण के सन्दर्भ में।**

सन्दर्भः— उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर का पत्रांक— 71/12—1 दिनांक 29.11.2017।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 243/12 उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त पत्र में चाही जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है।

मुझे शासकीय पत्र संख्या 6371/14—2—578/74 दिनांक 26.06.1978 को 250 रू0 निरीक्षण शुल्क पर प्लॉट नम्बर 8 व 9 का आवंटन जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति नं0 1 संलग्न है।

उक्त भूमि पर किराया लीज की अवधि तक मेरे द्वारा जमा कराया गया है। मेरे द्वारा ट्रैक्टर के कार्य हेतु चीफ इन्जीनियर मध्य गंगा केनाल बिजनौर (उ0प्र0) को दिया गया प्रार्थना पत्र की छायाप्रति नं0 2 संलग्न है।

ह0 [illegible] प्राप्त किया
कुल 6 अंक

(1)

[signature]
[illegible]
16-12-2017

(5)

AGRO SERVICE & FILLING CENTRE
Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎: (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Date.........................

Ref. No......................

महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सेल्फ इम्प्लायमेंट स्कीम बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार देने के लिए चलाई थी। जिसके लिए उन्हें बुधनी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग देने के पश्चात रोजगार देने के लिए कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए वन भूमि दी गयी, जिसके अन्तर्गत मुझे रानीखेत रोड स्थित वन भूमि पर प्लॉट नम्बर 8 व 9 आवंटित किया गया।

कालान्तर में विभिन्न प्रदेशों में संचालित केन्द्रों को सिक यूनिट माना गया व इसका संज्ञान तत्कालीन लोकसभा में देते हुए पेट्रोलियम मन्त्री द्वारा कृषि सेवा केन्द्रों को पुनः रोजगार देने के लिए डीजल व पेट्रोल और पेट्रोबेस्ड लुब्रिकेन्ट की डीलरशिफ देने को कहा, जिसकी छायाप्रति नं0 3 संलग्न है।

Rehabilitation of sick agro services centre के अन्तर्गत मुझे पेट्रोल पम्प की डीलरशिफ उक्त भूमि पर देने के लिए इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् ही मुझे बी0 साईड की डीलरशिफ देते हुए कहा गया, जिसकी छायाप्रति नं0 4 संलग्न है।

जिलाधिकारी द्वारा एन0ओ0सी0 देकर 15 मार्च 1978 तक पम्प संचालन शुरू करने को कहा गया, जिसकी छायाप्रति नं0-5 संलग्न है। कम्पनी IOC ने लिया है

महोदय, शासनादेश संख्या 6371/14–2–578/74 एन0पी0त्रिपाठी सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा अरण्यपाल पश्चिमी व्रत उ0प्र0 नैनीताल दिनांक 26 जून 1978 वन अनुभाग 2 का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

AGRO SERVICE & FILLING CENTRE
Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎: (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Ref. No....................... Date..........................

जिसमें उक्त भूमि पर पेट्रोल पम्प खोलने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी छायाप्रति नं0 6 संलग्न है।

अतः इसी एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर की लीज के नवीनीकरण के लिए बार–बार प्रार्थना पत्र प्रमाण के लिए दिनांक 06 अगस्त 2013–14 की छायाप्रति नं0 8 लगायी गयी है। विभाग द्वारा अभी तक लम्बित रखी गयी है। सम्भवतः पेट्रोल पम्प के मानचित्र के अभाव में बिलम्ब हुआ हो जिसकी सुविधा पूर्व में रामनगर में नहीं थी। परन्तु यह सुविधा उपलब्ध होने पर लीज के नवीनीकरण की फाईल में सैटेलाईट से पेट्रोल पम्प का मानचित्र सन् 2016 में आपके विभाग में सभी सक्षम अधिकारियों व आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा करा दी गयी थी।

अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है आपके विभाग द्वारा 06 दिसम्बर 2017 को नवीनीकरण वाली फाईल में उपर्युक्त बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी।

महोदय मैं लीज के नवीनकरण के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ न कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए। विभाग द्वारा देय राशि (किराये) की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा राशि जमा करा दी जायेगी।

यदि उप प्रभागीय वनाधिकारी वन अधिकारी को तत्कालीन शासनादेश पृष्ठ सं0 2 बिन्दु 1 से 4 तक में कोई संदेह है तो वह सक्षम अधिकारी

(7)

AGRO SERVICE & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
☎: (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

INDIAN OIL

Ref. No......................   Date..........................

है। अतः सम्बन्धित शासनादेश की कॉपी मंगाकर अपने संदेह का निवारण कर सकते है।

महोदय मैं सीनियर सीटीजन हूं। आशा है कि आप मेरे द्वारा दिए तथ्यों से सहमत होते हुए लीज के नवीनीकरण करने का कष्ट करते हुए मुझे मानसिक तनाव से मुक्ति दिलायेंगे।

धन्यवाद

भवदीय
हरीश चन्द्र घिल्डियाल
हरीश चन्द्र घिल्डियाल
Sd

संलग्न छाया प्रति
क्र. 1 से 8 तक
लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव 6 प्रति

प्रतिलिपि [illegible] सं0 1983/14-2-78/74 दिनांक 3-7-1975 प्रेषक, [illegible]
उ०प्र० शासन, लखनऊ [illegible], [illegible], प्रमुख उद्यान [illegible] नैनीताल।

विषय:- [illegible] कृषि [illegible] हेतु [illegible]
[illegible] नैनीताल [illegible] किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 2673/5-2 (?) दिनांक [illegible] मार्च 1975 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल [illegible] कृषि [illegible] हेतु (Agricultural [illegible]) [illegible]
2700 [illegible] 9-1425 [illegible] 9-1275 [illegible])
[illegible] पर [illegible] के [illegible]
प्रदान करते हैं:-

1. [illegible] रु0 2000 [illegible] 985 [illegible]
[illegible]।
2. [illegible] 90 वर्ष की होगी।
3. [illegible] प्रयोजन के लिये [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
4. [illegible]
[illegible]।
5. [illegible]
[illegible]
[illegible]।
6. [illegible] हेतु [illegible]
[illegible]
[illegible]।
7. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जाएगा तब सरकार को सूचित की जायेगी जिसके लिये [illegible] किसी

[illegible] का [illegible] न होगा ।

2. [illegible] आवश्यक [illegible] के [illegible] लेखाशीर्षक " 113- [illegible] " के

[illegible] लेखाशीर्षक के अन्तर्गत [illegible] की जाए ।

3. कृपया निदेशक का अधिष्ठान व्यय के पुनर्विनियोग [illegible] को

[illegible] है कि 32 रु० [illegible] के [illegible] निम्नलिखित लेखाशीर्षक के

अन्तर्गत [illegible] [illegible] , उ०प्र० [illegible]

[illegible] है :-

" 065 अन्य सामान्य सेवायें - [illegible] अन्य प्राप्तियां - [illegible]

[illegible] शुल्क [illegible] के लिये [illegible]

[illegible] द्वारा प्राप्त [illegible] "

4. यह आदेश वित्त विभाग के [illegible] किया जा रहा है जो उनके

अशासकीय सं० ई - 7- 1431/दस - 75 दिनांक 27-6-75 द्वारा प्राप्त है ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 7

आज्ञा से,

ह० [illegible]

सचिव ।

कार्यालय सचिव मुख्य [illegible], उ० उ०प्र० नैनीताल ।

सं० ... 320/5-2 [illegible] दिनांक नैनीताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि [illegible] उनके पत्र सं० 2500/5-4

दिनांक 7-2-1975 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[illegible] के पैरा 3 [illegible] करें ।

अग्रेषित

ह० [illegible]

([illegible] प्रसाद [illegible])
सचिव मुख्य [illegible], उ० उ०प्र०
नैनीताल ।

[illegible] 31/7 [illegible] ... (662) [illegible] 75

प्रतिलिपि शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक [illegible]-78 प्रेषक श्री शम्भूनाथ सिंह अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवामें अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त उ0प्र0।

xxxxxxx

विषय :- श्री हरीश चन्द्र [illegible] को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ [illegible] नैनीताल में भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 26 जून 1978 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विचाराधीन [illegible] के परिवर्तन हेतु पट्टेदार से रु0 2500 निर्धारण शुल्क ट्रेजरी में उचित शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाया जाना आवश्यक है अतः कृपया पट्टेदार को तुरन्त सूचित करने का कष्ट करें कि वे उक्त धनराशि जमा करके ट्रेजरी चालान की [illegible] भेज दें।

मुझे यह भी कहना है कि कृपया शासकीय पत्र संख्या 135/14-2 दिनांक 12 जनवरी 1977 में जारी किये गये आदेश निरस्त करते हुए शासनादेश [illegible] -578/74 [illegible] की प्रति अवगत कराया जाय

xxxx

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

कार्यालय अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त उत्तर प्रदेश नैनीताल।

सं0 1858/5-2 (रा) दिनांक नैनीताल अगस्त 5, 1978

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को तुरन्त सूचनार्थ प्रेषित। कृपया तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें।

सत्य प्रतिलिपि
[illegible] 20/8/78

ह0 (आर0बी0 माथुर)
अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त नैनीताल

Divisional Forest Officer,
Ramnagar Forest Division,
Ramnagar (Nainital)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग - रामनगर।

सं० / दिनांक, रामनगर, जनवरी, 20, 1979

सेवा में,

[illegible] अधिकारी,
भवाली।

विषय :- श्री हरीश चन्द्र सिं[illegible]याल को कृषि सेवा केन्द्र के लिए [illegible] वन भूमि दिया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 1-8-1978 को अनुपालन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की सूचना अपेक्षित है।

ठेकेदार से प्रीमियम रु 7500/- (सात हजार पांच सौ०) एवं वार्षिक किराया 375/- (तीन सौ पचहत्तर रु०) दर से लिया जाना है।

उक्त प्लाट से 8 एवं 6 श्री हरीश चन्द्र सिं[illegible]याल को नियमानुसार प्राप्त है।

संलग्न :- 1

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग - रामनगर

सं० 2706 /1/ 5-4

प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्र सिं[illegible]याल को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 17-1-78 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं० 1853/14-2-578/74 दिनांक 3-7-75 के क्रम में, शासनादेश सं० 6371/14-2-578/74 दिनांक 1-8-78 की प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त [illegible] को उनके पत्र संख्या 1858/5-2 (रा), दिनांक 8-8-78 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग - रामनगर

(12)   J A

प्रेषक,   संख्या 3033/12(2)/76-1542/91

श्री वेद प्रकाश,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
लघु/सीमान्त कृषक परियोजना जनपद।

कृषि अनुभाग (2)   लखनऊ, दिनांक 24 मई, 1976

विषय:- बेरोजगार इन्जीनियरों द्वारा छोटे/सीमान्त किसानों को कृषि सेवा सुविधा देने पर अनुदान दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 5 मई 1976 को सचिवालय में लघु कृषक परियोजना के सम्बन्ध में हुई बैठक में बेरोजगार इन्जीनियरों द्वारा छोटे सीमान्त किसानों को कृषि सेवा उपलब्ध कराने पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि लघु कृषक-विकास अभिकरणों से यदि बेरोजगार इन्जीनियरों द्वारा जिन्होंने यू0पी0 एग्रो से प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि सेवा केन्द्र खोले हैं, छोटे/सीमान्त कृषकों को कृषि सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो छोटे किसानों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों को 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान देय होगा किन्तु एजेन्सी को अनुदान देने से पूर्व विकास खण्ड स्टाफ के माध्यम से यह पुष्टि करानी होगी कि सम्बन्धित कृषक ने उक्त बेरोजगार इन्जीनियर से कृषि सेवा उपलब्ध की है। व्यक्तिगत पार्टियों (   ) के माध्यम से कृषि सेवा उपलब्ध कराने पर अनुदान देय नहीं होगा।

भवदीय

ह0 वेद प्रकाश
उप सचिव

संख्या 3033(1)/12(2)/76 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या 365 दिनांक 26-4-1976 के संदर्भ में प्रेषित। कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये एस0 एफ0 डी0 ए0 से अनुदान देने का कोई प्राविधान नहीं है।

2- श्री एस0एन0 पैठारकर, उप आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय (ग्राम्य विकास) नई दिल्ली।

आज्ञा से
ह0 वेद प्रकाश
उप सचिव

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
(सरकार द्वारा संचालित)
प्रशिक्षण केन्द्र, तालकटोरामार्ग - लखनऊ

पत्रांक 484/प्रशि0/76-77   दिनांक लखनऊ जून 7, 1976

प्रतिलिपि एस0 एफ0 डी0 ए0/एम0एफ0 ए0 एल0 जिलों के समस्त स्थापित कृषि सेवा केन्द्रों के उद्यमकर्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0 भगवान शरण
प्रोजेक्ट इंजी0 इन्जीनियर

(13) (2)

Agro Service Centre

SPONSORED BY GOVT. OF INDIA AND PATRONISED BY U. P. STATE AGRO INDUSTRIAL CORPN. LTD.

LAKHANPUR, RAMNAGAR
NAINITAL

Services Available

CUSTOM HIRING OF:
Tractor & other Farm Machinery

SPECIALISED IN REPAIRS OF:
Tractor, Diesel Pump-Set and other automobiles

SUPPLIER OF:
* Spare Parts of Tractors
* Trolly, Harrow and other Agricultural Implements
* Fertilizers
* Certified Seeds
* Cattle & Chicken Feed
* Diesel & Lubricant
* Fruit Preservation Goods, Jam Jelly
* Fruit Drinks.

Ref. Date 1/12/83

From
Sri H.C.Ghildiyal,
Agro Entrepreneur,
Ranikhet Road,Ram Nagar,
Distt. Nainital.

To
The Chief Engineer,
Madhya Ganga Canal,
Bijnor.

Subject: Tractor work for compaction of soil in the construction of Madhya Ganga,Canal in district Bijnor.

****

Dear Sir,

I am an Agro entrepreneur sponsored by the Govt. of India and own a tractor given by State Govt. for the purposes of custom hiring. Presently, I have no custom work for the Tractor.

2. I am given to understand that some tractors of Agro entrepreneur are to be engaged in near future in the compaction work of soil in Madhya Ganga Canal,district Bijnor. It is, therefore, requested that I may also kindly be given an opportunity to serve in Nation-building work by offering my tractor for the compaction of soil work. I am prepared to work under the same terms and conditions as fixed by the U.P. State Agro Industrial Corpn. Ltd.

Thanking you,

Yours faithfully,

(signature)

(H.C.Ghildiyal)
Agro Entrepreneur,
Ranikhet Road,Ram Nagar,
Distt. Nainital.

***

(14) (2)

संख्या [illegible] /14-2-578/74

प्रेषक,

एन0 पी0 त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अरण्यपाल,
पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश,
नैनीताल।

वन अनुभाग - 2

लखनऊ: दिनांक: जून [illegible], 1978

विषय:- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6378/5-2-रा, दिनांक जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "जो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र (agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/84, दिनांक जुलाई 3, 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उद्योग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

एन0 पी0 त्रिपाठी,
सचिव।

संख्या 6371 (1)/14-2-578/74

प्रतिलिपि श्री एच0 सी0 घिल्डियाल, बी-58, पोस्ट आफिस बिल्डिंग, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0 ——
एन0 पी0 त्रिपाठी,
सचिव।

निर्देश के लिए प्रेषित
[illegible]
26.6.78

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामनगर- रानीखेत रोड पर वन भूमि पर स्थित प्लॉट नम्बर 8 तथा 9 क्षेत्रफल 100x30 तथा 24' जो श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल के नाम पर लीज पर स्वीकृत बताया गया है, अधोहस्ताक्षरित संलग्न नक्शे के अनुसार इण्डियन ऑइल कॉरपोरेशन द्वारा डीजल पम्प लगाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वह चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव्स आगरा से अनुज्ञापन प्राप्त कर लें तथा किसी सम्बन्धित व्यक्ति को कोई एतराज न हो सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि० रामनगर के अनुसार 2 x 60 सेन्टीमीटर रोड साइड ड्रेनेज, पुलिया निर्माण के लिये प्रार्थी [illegible] एग्रीमेन्ट लो०नि०वि० से करना होगा । भूमि पर स्वामित्व श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल का रहेगा जो आई०ओ०सी० के अन्दर बनाए गये हैं ।

दिनांक 3-1-79

ह०/अपठनीय
जिलाधिकारी नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
पत्र संख्या [illegible]/5- अवकाश दिनांक जनवरी 3, 1979

प्रतिलिपि हस्ताक्षरित नक्शे सहित श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल द्वारा सम्बन्धित इण्डियन ऑइल कॉरपोरेशन द्वारा श्री [illegible]गुप्ता, सेल्स ऑफिसर, गोविन्दनगर हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह०/अपठनीय
जिलाधिकारी नैनीताल
3-1-79

सत्य प्रतिलिपि